संख्या 2219 /55–पर्या–2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 11, दिसम्बर, 2015

विषयः– **वायु प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में।**

महोदय,

वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने, औद्योगीकरण एवं निर्माण के कारण प्रदेश के विभिन्न शहरों/नगरों के पर्यावरण में पी.एम.–10 (पार्टीकुलेट मैटर–10) के स्तर में वृद्धि हुई है जिसका दुष्प्रभाव नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।

2. उक्त के दृष्टिगत पर्यावरण में व्याप्त पी.एम.–10 को नियंत्रित स्तर पर रखा जाना अति आवश्यक है। अतः इसे नियंत्रित करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत पंजीयन के एक वर्ष के पश्चात् प्रत्येक मोटर यान को बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण प्राप्त किये वाहनों के संचालन की शिकायतें प्राप्त हुई है। अतः प्रत्येक जनपद में परिवहन, पुलिस एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित कर ऐसे वाहनों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जाये।

2. प्रदूषणकारी वाहनों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ–साथ उनकी पंजीयन पुस्तिका भी निलंम्बित करने की विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्येक जनपद में प्रदूषण की जांच हेतु निजी क्षेत्र में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित हैं। इन प्रदूषण जांच केन्द्रों की गुणवत्ता की भी जांच प्रस्तर–1 में गठित समिति द्वारा करायी जाये। इन प्रदूषण केन्द्रों में यदि अनियमितता पाई जाये तो इनके लाइसेंस निरस्त किँए जायें।

4. जिन जनपदों में ई0पी0सी0ए0 के निर्देशों के अधीन सार्वजनिक परिवहन यानों में सी0एन0जी0 ईंधन चलित वाहन संचालित हो रहे हैं वहां आसपास के जनपदों से डीजल चलित वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाये। यदि डीजल वाहन

संचालित पाए जायें तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5. ट्रैफिक जाम की समस्या के निदान हेतु शहर की यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु जाम लगने वाले स्थान चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।

6. विभिन्न नगरों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। अतः निर्माण कार्य के उस क्षेत्र को ढ़ककर निर्माण कार्य किया जाये और यथावश्यकता यह सुनिश्चित किया जाय कि अनावश्यक धूल पर्यावरण में व्याप्त न हो।

7. अपने–अपने जनपदों में वृक्षारोपण का कार्य विशेष तौर पर किया जाय ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

8. नगर निगम द्वारा शहरों की सफाई व्यवस्था के उपरान्त सूखी पत्तियों को जलाये जाने की प्रकिया को रोका जाये।

9. प्रदूषणकारी ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी का बुरादा आदि को हतोत्साहित किया जाये एवं स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने हेतु जन सामान्य को प्रेरित किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11/12

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 3219 (1)/15–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, परिवहन, गृह, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।